पत्रांक 2704 /33-3-2004/100(34)/04

(60)

प्रेषक,

नीरा यादव
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 25 अगस्त 2004

विषय – ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन योजना की मार्ग निर्देशिका।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का कियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। कार्यक्रम के कियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 3827/33-3-99-227/99 दिनांक 21.02.2000 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं। शासन द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने तथा ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के कियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों हेतु विशेष प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं :-

4289
29/9/04

क. <u>शौचालय की डिजाइन</u>

(i) योजना के अन्तर्गत रू0 1000 तक की लागत (बी.एल.सी.यू.) का एक गड्ढ़े वाला आफसेट पोरफ्लश वाटर सील ग्रामीण पैन युक्त शौचालय का निर्माण किया जाएगा जिसमें 30% अर्थात रू0 300 केन्द्रांश, 30% अर्थात् रू0 300 राज्यांश तथा 40% अर्थात रू0 400 लाभार्थी अंश होगा। उक्त ईकाई लागत बिना सुपरस्ट्रक्चर के है जिसका डिजाइन संलग्न है तथा शासनादेश दि0 21.02.2000 में भी स्पष्ट किया गया है।

(ii) उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ईटों के सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा जिसपर पत्थर की पटिया या एस्बेस्टस शीट की छत होगी। शौचालय में दरवाजे की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से की जाएगी।

(iii) शौचालय के निर्माण में रूरल पैन का प्रयोग किया जाएगा ताकि पानी की खपत कम हो तथा सफाई कम से कम पानी में की जा सके।

(iv) शौचालय के गड्ढ़े में ईटों की जालीदार चिनाई होगी तथा उसके ऊपर आर.सी.सी. के पिट कवर का प्रयोग किया जाएगा जिसका मानक विभाग द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है।

(v) प्रत्येक शौचालय में एक निरीक्षण कक्ष/जंक्शन चैम्बर की आवश्यक होगी ताकि भविष्य में एक गड्ढा भर जाने पर दूसरे ग... निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जा सके।

ख. <u>फंडिग पैटर्न</u>

प्रति शौचालय फंडिग पैटर्न निम्नप्रकार होगा :–

	बी.पी.एल. परिवार	ए.पी.एल. परिवा...
केन्द्रांश	रू0 300	—
राज्यांश	रू0 300	—
लाभार्थी अंश	रू0 400	रू0 400
ग्राम पंचायत द्वारा प्रोत्साहन धनराशि	रू0 900	रू0 1500
योग	रू0 1900	रू0 1900

ग. <u>भुगतान प्रकिया</u>

1. शौचालय निर्माण की समस्त धनराशि जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं ... पंचायत प्रोत्साहन धनराशि सम्मिलित होगी, जिला पंचायत राज अधि... द्वारा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शौचालय ... की धनराशि का भुगतान किसी भी दशा में जिला स्तर से पं... उद्योग/आर.एस.एम. या अन्य किसी संस्था को नही किया जाएगा। ... पंचायत द्वारा लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु सीधा भुगतान दो चरण... किया जाएगा।
2. प्रथम चरण में लाभार्थी द्वारा बी.एल.सी.यू. अर्थात् कुर्सी स्तर तक एक ... सेट गड्ढे वाला शौचालय (ईंट की चिनाई युक्त) निर्माण कराने के उप... रू0 1000/– का भुगतान किया जाएगा। भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा कि... जाएगा तथा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी द्वा... दिये गये आवेदन पत्र पर ईकाई के निर्माण की सत्यापन रिपोर्ट निर्माण ... होने के दो दिन के अन्दर ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी। सत्याप... रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान आदेश पारित क... लाभार्थी को धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
3. द्वितीयं चरण में लाभार्थी द्वारा सुपर स्ट्रक्चर एवं छत का निर्माण करा ले... पर उसे अवशेष धनराशि रू0 500 का भुगतान कर दिया जाएगा। इस हे... भी उपरोक्तानुसार लाभार्थी द्वारा दिए गये आवेदन पत्र पर सत्यापन उपरान्... भुगतान की प्रकिया अपनाई जाएगी।
4. उपरोक्तानुसार प्रति शौचालय अधिकतम रू0 1500 की सहायता अनुमन्य होगी। शौचालय पूर्ण करने में यदि कोई अतिरिक्त धनराशि लगती है तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
5. भुगतान हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट ए... ग्राम प्रधान द्वारा पारित भुगतान आदेश ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा। कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि शौचालय निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं फर्जी भुगतान के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान सीधे उत्तरदायी होंगे। साथ ही संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों तथा उत्पादन केन्द्रों को भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप कार्यक्रम में मात्राकृत धनराशि से स्थापित किया जाएगा ताकि वैकल्पिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए शौचालय निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा पैन, ट्रैप, पिट कवर की उपलब्धता उच्च गुणवत्ता के साथ बनी रहे।

ज. निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. शौचालय के निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रत्येक शौचालय की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसकी एक–एक प्रति क्रमशः ग्राम पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/ जिला स्वच्छता मिशन के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों में से निम्नप्रकार निर्धारित प्रतिशत में शौचालयों का सत्यापन विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा रैन्डम पद्धति के आधार पर किया जाएगा :–

(i)	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	50%
(ii)	सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0)	20%
(iii)	खंड विकास अधिकारी	20%
(iv)	जिला पंचायत राज अधिकारी	20%
(v)	मंडलीय उपनिदेशक पंचायत	10%
(vi)	मुख्य विकास अधिकारी	10%

3. मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी भी ग्रामों के भ्रमण के समय अन्य कार्यक्रमों के साथ शौचालयों का भी सत्यापन करेंगे।

झ. इन्दिरा आवास योजना

योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 में लगभग 225000 शौचालयों का निर्माण इन्दिरा आवासों में कराया जाएगा जिसके लिए ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग है। इन्दिरा आवासों में निर्मित शौचालयों का उपयोग लाभार्थी द्वारा किया जाए इस हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों द्वारा उन्हें शौचालयों के प्रयोग एवं स्वच्छ व्यवहार हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिला स्वच्छता समिति द्वारा इन्दिरा आवासों में निर्मित शौचालयों का भी सत्यापन कराया जाएगा ताकि उनकी गुणवत्ता एवं उपयोग का स्वच्छता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जा सके।

ट. लक्ष्य

यद्यपि वर्ष 2004–05 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लगभग 11 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना है परन्तु माह दिसम्बर तक के लिए उपलब्ध आय–व्ययक के सापेक्ष 5 लाख 92 हजार शौचालयों का माहवार लक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। जिला स्वच्छता समिति के अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी उक्तानुसार लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराएंगें तथा केन्द्रांश की अगली किश्त

...पाई गई तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

घ. **ए.पी.एल. परिवारों को शौचालय**

प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. के अतिरिक्त ए.पी.एल. परिवारों को भी आच्छादित किया जा सकेगा परन्तु ए.पी.एल. परिवारों हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप केन्द्रांश की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी बल्कि पूरी धनराशि रू0 1500 ग्राम पंचायत द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि का पूर्ण उपभोग समय से सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध केन्द्रांश के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर बी.पी.एल. परिवारों को आच्छादित किया जाएगा तथा ए.पी.एल. लाभार्थियों की संख्या कुल लक्ष्य के 10 प्रतिशत तक होगी।

ङ. **ग्राम पंचायतों का चयन**

1. ग्राम पंचायतों के माध्यम से उक्तानुसार प्रोत्साहन योजना का लाभ देते समय जनपदवार सर्वप्रथम ऐसी ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया जाएगा जहां शौचालयों से आच्छादन का प्रतिशत सर्वाधिक हो। इस हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत किए गये बेस लाइन सर्वे के आधार पर जनपद की ग्राम पंचायतों का आच्छादन प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। इस प्रकिया से ग्राम पंचायतें शत प्रतिशत आच्छादन उपरान्त भारत सरकार की निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दावा कर सकेगी और उन्हें पुरस्कार स्वरूप रू0 2–4 लाख का अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होगा जिससे विकास कार्य कराये जा सकेंगे। उक्त रणनीति से ग्रामीण समुदाय एवं ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी और शत प्रतिशत आच्छादन का मार्ग प्रशस्त होगा।
2. समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम यदि स्वच्छ शौचालय से आच्छादित नहीं हैं तो उन ग्रामों में प्रभावी सूचना शिक्षा एंव संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों द्वारा मांग का सृजन किया जाएगा तथा मांग के अनुरूप शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। समग्र ग्रामों को शौचालयों से शत प्रतिशत आच्छादित करने की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि इन ग्रामों को भी निर्मल ग्राम पुरस्कार योजनान्तर्गत पुरस्कृत कराया जा सके।

च. **मिस्त्रियों का प्रशिक्षण**

चूंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत अत्यधिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है अतः प्रत्येक विकास खंड के लिए प्रशिक्षित मिस्त्रियों की टीम तत्काल तैयार कर ली जाए। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी. मद में प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि से तत्काल मिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित किये जाएं। यह कार्य जिला स्वच्छता मिशन के नियन्त्रण में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। यदि तकनीकी रूप से दोष पूर्ण शौचालयों का निर्माण अप्रशिक्षित मिस्त्रियों से कराया जाता है तो इस हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक विकास खंड एवं ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों पर प्रशिक्षित मिस्त्रियों की सूची उपलब्ध रखी जाए।

की प्रस्ताव भी समयान्तर्गत पंचायत ... उत्तरदायी होंगे ताकि भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर वर्ष में कम से कम 11 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा सके।

भवदीया,

नीरा यादव
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 2704(1)/33-3-2004 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत, उ0प्र0।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/ नियोजन, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अनीस अंसारी)
प्रमुख सचिव